(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 2335–एक/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–2013 – पारित व्दारा तहसीलदार, तहसील श्योपुर – प्रकरण कमांक 89/2012–13 बी–121

1– मु0मेमूना पत्नि स्व0 उस्मान गनी
2– अब्दुल हफीज 3– मोहम्मद शबीर
4– मोहम्मद कय्यूम 5– मोहम्मद अयूब
6– मोहम्मद जुबेर 7– मोहम्मद जाकिर
8– मोहम्मद सागीर 9– मोहम्मद जावेद
सभी पुत्रगण स्व0 उस्मान गनी
निवासी बालापुरा तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर कलॉ मध्य प्रदेश ––– आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ––– अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से श्री बीर सिंह जादौन अभिभाषक)
(अनावेदकगण के पैनल लायर श्री अनिल कुमार)

आ दे श

(आज दिनांक 10 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 89/2012–13 बी–121 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उस्मान गनी पुत्र इमाम खॉ

निवासी कस्वा श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को आवेदन देकर मांग की कस्वा श्योपुर की भूमि कुल किता 11 कुल रकबा नौ वीघा एक विसवा (अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्र0क0 4/2001-02 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 12-6-03 में अंकित अनुसार) भूमि "आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है " का पटटा तत्कालीन जमींदार व्दारा दिया गया था, जिसके अनुसार कब्जे का इन्द्राज शासकीय अभिलेख में है । वादग्रस्त भूमि पर मौके पर फसल खड़ी है व उसका पूर्वजों के समय कब्जा चला आ रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि पर उसे भूमिस्वामी घोषित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 4/2001-02 अ-1 पंजीबद्व किया एंव आवेदक की सुनवाई एंव जॉच कर आदेश दिनांक 12-6-2003 पारित किया तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 सहपठित 185 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर उस्मान गनी पुत्र इमाम खॉ निवासी कस्वा श्योपुर को भूमिस्वामी घोषित करते हुये शासकीय अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व हनुमान पुत्र प्रभूलाल कोली निवासी गांधीनगर श्योपुर ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 148/2005-06 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 21.2.2007 से निरस्त हुई। तत्पश्चात् उस्मान गनी पुत्र इमाम खॉ की मृत्यु हो गई एंव तहसील न्यायालय व्दारा वादग्रस्त भूमि पर मृतक उस्मान गनी के विधिक वारिसान आवेदक का नामान्तरण आदेश दिनांक 18-10-12 से किया।

वर्ष 2012-13 में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बनावटी एंव कूट इन्द्राज वावत् शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार श्योपुर ने म0प्र0शासन की ओर से प्रकरण 89/2012-13 बी 121 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 16-9-2013 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर से आवेदकगण का नाम विलोपित करने का आदेश देते हुये शासकीय

काविलकास्त दर्ज कराने का निर्णय लिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि तहसीलदार श्योपुर के आदेश दिनांक 16-9-2013 के विरूद्ध निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत है, जिसे निरस्त किया जावे। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार श्योपुर के आदेश दिनांक 16-9-2013 की जानकारी आवेदकगण को समय पर नहीं हो सकी, क्योंकि जब भी वह आदेश की जानकारी लेने तहसील में जाते , तहसीलदार का रीडर बता देता कि जब भी आदेश होगा, आदेश की सूचना विधिवत् दे दी जावेगी, किन्तु 16-9-13 से 24-3-15 की अवधि के बीच तहसीलदार व्दारा आदेश की सॅसूचना नहीं दी गई। पटवारी से जानकारी लेने पर बताया कि भूमि तहसीलदार व्दारा शासकीय घोषित कर दी गई है, तब जाकर जिला अभिलेखागार में 25-3-15 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन दिया एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने पर 8-4-15 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया, फिर भी प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी गई, तब बिना प्रमाणित प्रतिलिपि के निगरानी प्रस्तुत की गई है और जब 9-10-15 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि के अंतिम पृष्ठ के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण ने तहसील में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु 25-6-15 को आवेदन दिया है जिस पर से दिनांक 9-10-15 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की गई है। साढ़े चार माह तक पक्षकार को प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दिया जाना स्पष्ट करता है कि आवेदकगण व्दारा अवधि विधान की धारा-5 में दिया गया विवरण समाधान-कारक है जिसके कारण विलम्ब क्षमा किये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीयअधिकारी श्योपुर ने प्र0क0 4/2001-02 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 12-6-03 से वादग्रस्त भूमि पर मृतक उस्मान गनी को भूमिस्वामी घोषित कर शासकीय अभिलेख में नाम अंकित कराया है , तब क्या शिकायती आवेदन पर से तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम हैं ?

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-44 सहपठित 50 - जहां अपील एंव निगरानी का उपचार प्राप्त है पक्षकार की शिकायत पर भूमिग्रहीता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।**
2. **मध्य प्रदेश शासन एंव पक्षकार के बीच भूमि विवाद - भूमि विवाद की कार्यवाही में व्यक्ति पक्षकार नहीं है। उसके व्दारा पुनपरीक्षण याचिका या अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती । देवी प्रसाद विरुद्ध नाके 1975 रा0नि0 67 हाईकोर्ट**

स्पष्ट है कि तहसीलदार श्योपुर को अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्र0क0 4/2001-02 अ-1 में मृतक उस्मान गनी को भूमिस्वामी घोषित करने हेतु दिये गये आदेश दिनांक 12-6-03 में फेर-बदल करने अथवा हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नहीं है जिसके कारण तहसीलदार, तहसील श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 89/2012-13 बी-121में पारित आदेश दिनांक 16-9-2013 अधिकारिता-विहीन होने से विधि के प्रभाव से शून्यवत् है।

6/ विचार योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 4/2001-02 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 12-6-03 से मृतक उस्मान गनी को वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी घोषित कर शासकीय अभिलेख में नाम इन्द्राज कराया है तथा भूमिस्वामी उस्मान गनी की मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिस आवेदकगण का नामान्तरण

तहसील न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 18-10-12 से किया गया है तब क्या तहसीलदार स्वंय् व्दारा पारित आदेश दिनांक 18-10-12 को निरस्त करने हेतु सक्षम हैं।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 109, 110- भूमिस्वामी की मृत्यु पर तहसील न्यायालय व्दारा नामान्तरण - सक्षम स्वीकृति के बिना तहसीलदार को नामांत्रण कार्यवाही री-ओपिन करने की अधिकारिता नहीं हैं।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदकगण के हित में हुये फोती नामान्तरण आदेश दिनांक 18-10-12 को अनदेखा करते हुये एंव नामान्तरण आदेश निरस्त करने के पूर्व नामान्तरण कार्यवाही पर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा सक्षम अनुमति के अभाव में नामान्तरण कार्यवाही री-ओपिन कर तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 89/2012-13 बी-121में पारित आदेश दिनांक 16-9-2013 दोषपूर्ण प्रकिया पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 4/2001-02 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 12-6-03 के विरूद्ध हनुमान पुत्र प्रभूलाल कोली निवासी गांधीनगर श्योपुर ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 148/2005-06 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 21.2.2007 से निरस्त हुई है एंव अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-2-07 अपील/निगरानी के अभाव में यथावत् रहने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12-6-03 पुष्टिकृत हो चुका है एंव अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21-2-07 अपील/निगरानी के अभाव में Res-judicata का रूप लिये है इसके वाद भी तहसीलदार श्योपुर ने इस तथ्य को नजरन्दाज करते हुये स्वस्तर से अधिकारविहीन आदेश दिनांक

16-9-13 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 12-6-03 से हुये शासकीय अभिलेख में अमल को विलोपित करने का निर्णय लेने में गंभीर त्रृटि की है जिसके कारण तहसीलदार, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 89/2012-13 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 16-9-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 89/2012-13 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 16-9-2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव कस्वा श्योपुर की भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 9 वीघा 1 विसवा पर आवेदकगण का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर